रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰–33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 2001/फाल्गुन 28, 1922

No. 128] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 2001/PHALGUNA 28, 1922

CENTRAL S. ... LIBRARY GOVERNMENT OF ...

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2001

सा.का.नि. 195(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में यथा प्रवृत्त पंजाब साधारण विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का पंजाब अधिनियम सं. 9) का, निम्नलिखित उपांतरण के अधीन रहते हुए चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार करती है, अर्थात् :—

उपांतरण

1. धारा 1 की उपधारा (1) में "पंजाब साधारण विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1999" शब्दों और अंकों के स्थान पर "चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथाविस्तारित पंजाब साधारण विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1999" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

2. धारा 2 में,—

   (i) "पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1948" शब्दों और अंकों के स्थान पर "चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को लागू पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1948" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

   (ii) "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा।

3. धारा 3 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. यू-11015/7/2000-यूटीएल (202)]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

उपाबंध

पंजाब सरकार राजपत्र (सार) सितंबर 16, 1999

भाग 1

विधि और विधायी कार्य विभाग

पंजाब

अधिसूचना

16 सितंबर, 1999

सं. 14-वि/99.—पंजाब विधान सभा के निम्नलिखित अधिनियम को पंजाब के राज्यपाल की 15 सितंबर 1999 को अनुमति प्राप्त हुई थी और इसको सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

पंजाब साधारण विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1999
(1999 का पंजाब अधिनियम सं. 9)

पंजाब साधारण विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1948
का और संशोधन करने के लिए
अधिनियम

पंजाब राज्य विधान सभा द्वारा भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में यह निम्नलिखित रूप मे अधिनियमित हो :—

1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब साधारण विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1999 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **1948 के पंजाब अधिनियम 46 में धारा 11ङ का अंत:स्थापन.**—पंजाब साधारण विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1948 में धारा 11घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"11-ङ निर्धारण किया गया समझा जाना—इस अधिनियम में अन्य बातों के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तो यह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यौहरियों के किसी वर्ग के संबंध में यह निदेश दे सकेगी कि किसी विहित अवधि के लिए संबंधित निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा उनकी पहले दी गई विवरणियों के अनुसार ऐसी तारीख को, और ऐसी राशि का संदाय करने पर तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, निर्धारण किया गया समझा जाएगा।"

3. (1) **निरसन और व्यावृत्ति.**—पंजाब साधारण विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का पंजाब अध्यादेश सं. 4) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी ऊपर उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

एस. एस. ग्रेवाल,
विधिक सलाहकार और सचिव,
पंजाब सरकार
विधि और विधायी कार्य विभाग।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2001

G.S.R. 195(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the union territory of Chandigarh, the Punjab General Sales Tax (Amendment) Act, 1999 (Punjab Act No. 9 of 1999) as in force in the State of Punjab on the date of this notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

1. In Section 1, in sub-section (1) for the words and figures, "the Punjab General Sales Tax (Amendment) Act, 1999", the words and figures, "the Punjab General Sales Tax (Amendment) Act, 1999 as extended to the Union Territory of Chandigarh" shall be substituted.
2. In Section 2,—
   (i) for the words "the Punjab General Sales Tax Act, 1948", the words "the Punjab General Sales Tax Act, 1948 as applicable to the Union territory of Chandigarh" shall be substituted;
   (ii) for the words "State Government", the word "Administrator" shall be substituted.
3. Section 3 shall be omitted.

[F. No. U-11015/7/2000-UTL (202)]

P. K. JALALI, Jt. Secy.

ANNEXURE

PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 16, 1999

(BHDR. 25, 1921 SAKA)

PART I

DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS, PUNJAB

NOTIFICATION

The 16th September, 1999

No. 14-Leg/99.—The following Act of the Legislature of the State of Punjab received the assent of the Governor of Punjab on the 15th September, 1999, and is hereby published for general information :—

THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT) ACT, 1999

(Punjab Act No. 9 of 1999)

AN

ACT

further to amend the Punjab General Sales Tax Act, 1948.

BE it enaced by the Legislature of the State of Punjab in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Punjab General Sales Tax (Amendment) Act, 1999.

(2) It shall come into force at once.

2. Insertion of section 11-E in Punjab Act 46 of 1948.—In the Punjab General Sales Tax Act, 1948, after section 11-D, the following section shall be inserted, namely :—

"11-E. **Deemed Assessment**—Notwithstanding anything contained in this Act, if the State Government is satisfied that it is necessary and expedient so to do in public interest, it may by notification in the Official Gazette, direct that assessment in respect of any class of dealers, for any prescribed period, shall be deemed to have been made by the concerned assessing authorities as per their returns already furnished, on such date, on payment of such amount and subject to such conditions as may be prescribed.".

3. Repeal and saving.—(1) The Punjab General Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1999 (Punjab Ordinance No. 4 of 1999), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

S.S. GREWAL,

Legal Remembrancer and Secretary to Government of Punjab,
Department of Legal and Legislative Affairs.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.